

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2015/20030

दिनांक:- 18/5/2015

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा आमजन को निर्धारित समय पर जन्म/मृत्यु एवं विवाह के उद्धरण/प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रार का कर्तव्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते ही शीघ्रताशीघ्र जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना है। आपको विदित है कि जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण तब तक अपूर्ण है जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास उद्धरण/प्रमाण पत्र न पहुँच जाये।

अतः समस्त जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र को निम्नांकित समयावधि में सम्बन्धित व्यक्ति को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करने होंगे और वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिये अधिकृत नहीं कर सकेगा।

क्र.सं.	नवीन	पुराना
1	प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन करने पर उसी तिथि को (रिकॉर्ड अनुसार)
2	प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाना	आवेदन करने पर उसी तिथि को (रिकॉर्ड अनुसार)
3	प्रमाण पत्र में शुद्धि करना	आवेदन करने पश्चात 2 दिवस में (रिकॉर्ड अनुसार)

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/20031-569
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 18/6/2015

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला
4. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....जिला.....
5. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु), पंचायत समिति.....जिला.....

उप निदेशक (जीवनांक)
